आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

आदेश

विविध वाद संख्या—169/2017

धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता

रामाशंकर भुईयाँ वगैरह .... प्रथम पक्ष

बनाम्

नारायण यादव वगैरह ....द्वितीय पक्ष

16.01.18 यह प्रक्रिया आवेदक 1. रामाशंकर भुईयाँ पिता—स्व0 प्रमेश्वर भुईयाँ 2. चुनरवा कुवंर पति—स्व0 बिनोद भुईयाँ 3. बंसरोपन भुईयाँ पिता—मेधन भुईयाँ 4. सीता भुईयाँ पिता—मेधन भुईयाँ 5. गणेश भुईयाँ पिता—सहाय भुईयाँ 6. सुदेश्वर भुईयाँपिता—गोलाइ भुईयाँ 7. जगदीश भुईयाँ पिता—बासुदेव भुईयाँ 8. जवाहीर भुईयाँ पिता—बासुदेव भुईयाँ 9. कृष्णा भुईयाँ पिता—स्व0 मनरूप भुईयाँ 10. उर्मिला कुंवर पति—स0 नरेश भुईयाँ 11. भगरीत भुईयाँ पिता—बासुदेव भुईयाँ सभी ग्राम—मंझौली, थाना—छत्तरपुर, जिला— पलामू ने 1. नारायण यादव पिता—भदई यादव 2. सितली देवी पति—नारायण यादव 3. गुप्तेश्वर यादव पिता—नारायण यादव 4. जिरवा देवी पति—गुप्तेश्वर यादव 5. रामजन्म यादव पिता—नारायण यादव 6. सोनमतिया देवी पति—रामजन्म यादव 7. प्रभू यादव पिता—नारायण यादव 8. गुडिया देवी पति—प्रभू यादव 9. सरयू यादव पिता—नारायण यादव 10. बसंत यादव पिता—रामजन्म यादव 11. लखन यादव पिता— नारायण यादव12. सुरेन्द्र यादव पिता—रामचनर यादव 13. बिरेनद्र यादव पिता—

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	

रामचनर यादव सभी ग्राम—मंझौली, थाना—छत्तरपुर, जिला— पलामू के विरूद्ध धारा 144 दं0प्र0सं0 अंतर्गत कार्रवाई हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया। उक्त आवेदन पत्र के आलोक में थाना प्रभारी, छत्तरपुर से इस कार्यालय के ज्ञापांक 1159 दिनांक 12.11.2017 एवं ज्ञापांक 1204 दिनांक 02.11.2017 से जाँच प्रतिवेदन कि मांग की गई। थाना प्रभारी, छत्तरपुर ने डी0 आर0 नं0 2220/17 दिनांक 08.11.2017 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया। जाँच प्रतिवेदन में विवाद को देखते हुए एवं शांति—व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 144 दं0 प्र0 सं0 लगाने की अनुशंसा किया गया है। विवादी भूमि का विवरण निम्न प्रकार है—

मौजा	खाता सं0	प्लौट सं0	रकबा	चौहद्दी
मंझौली (रामाशंकर भुईयाँ)	43	527/1	0.38 ए0	उ0—परती कदीम द0—नाला पू0— परती कदीम प0—विनोद भुईयाँ
मंझौली (चुनरवा देवी)	43	527/2	0.38 ए0	उ0—परती कदीम द0—नाला पू0— परती कदीम प0—प्रेमधर भुईयाँ
मंझौली (बसरोपन भुईयाँ)	43	527/3	0.38 ए0	उ0—परती कदीम द0—नाला पू0—विनोद भुईयाँ प0—सीता भुईयाँ
मंझौली (सीता भुईयाँ)	43	527/4	0.38 ए0	उ0—परती कदीम द0—नाला पू0—बसरोपन भुईयाँ प0—गणेश भुईयाँ
मंझौली (गणेश भुईयाँ)	43	527/5	0.38 ए0	उ0—परती कदीम द0—नाला पू0—भगीरथ भुईयाँ प0—गणेश भुईयाँ

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

मंझौली (सुदेश्वर भुईयाँ)	43	527/6	0.38 ए0	उ0–परती कदीम द0–नाला पू0–भगीरथ भुईयाँ प0–गणेश भुईयाँ
मंझौली (जगदीश भुईयाँ)	43	527/7	0.38 ए0	उ0–परती कदीम द0–नाला पू0–जवाहीर भुईयाँ प0–भगीरथ भुईयाँ
मंझौली (जवाहीर भुईयाँ)	43	527/9	0.38 ए0	उ0–परती कदीम द0–नाला पू0–नरेश भुईयाँ प0–जगदीश भुईयाँ
मंझौली (मनरूप भुईयाँ)	43	527/11	0.39 ए0	उ0–परती कदीम द0–नाला पू0–नरेश भुईयाँ प0–परती कदीम
मंझौली (नरेश भुईयाँ)	43	527/10	0.39 ए0	उ0–परती कदीम द0–नाला पू0–मनरूप भुईयाँ प0–जगदीश भुईयाँ
मंझौली (भगरीत भुईयाँ)	43	527/7	0.38 ए0	उ0–परती कदीम द0–नाला पू0–जगदीश भुईयाँ प0–सुदेश्वर भुईयाँ

की जमीन, के लिए विवादी भूमि के उपर धारा 144 दं0प्र0सं0 की प्रकिया कायम कर उभय पक्षों को विवादी भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए कारण पृच्छा की मांग की गयी। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थि हुए एवं कारण पृच्छा दाखील किये।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने कारन पृच्छा के अनुरूप बहस करते हुए बताय कि मौजा मंझौली के खाता सं0–43, प्लॉट सं0–527, के अंतर्गत भूमि बंदोबस्ती वाद सं0–117/96–97 से खाता सं0–43, प्लॉट सं0–527/1, रकबा–0.38 एकड़ भुमी प्रमेश्वर भुईयाँ पिता– रामदेव भुईयाँ के नाम से बंदोबस्त हुआ है। खाता सं0–43, प्लॉट सं0–527/2, रकबा–0.38 एकड़ भुमी विनोद भुईयाँ पिता– लालू भुईयाँ के

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

नाम से बंदोबस्त हुआ है। खाता सं0–43, प्लॉट सं0–527/3, रकबा–0.38 एकड़ भुमी बसरोपन भुईयाँ पिता– मेघन भुईयाँ के नाम से बंदोबस्त हुआ है। खाता सं0–43, प्लॉट सं0–527/4, रकबा–0.38 एकड़ भुमी सीता भुईयाँ पिता– मेघन भुईयाँ के नाम से बंदोबस्त हुआ है। खाता सं0–43, प्लॉट सं0–527/5, रकबा–0.38 एकड़ भुमी गनेश भुईयाँ पिता– सहायदेव भुईयाँ के नाम से बंदोबस्त हुआ है। खाता सं0–43, प्लॉट सं0–527/6, रकबा–0.38 एकड़ भुमी सुदेश्वर भुईयाँ पिता– गोलाई भुईयाँ के नाम से बंदोबस्त हुआ है। खाता सं0–43, प्लॉट सं0–527/7, रकबा–0.38 एकड़ भुमी भगरीत भुईयाँ पिता– बासदेव भुईयाँ के नाम से बंदोबस्त हुआ है। खाता सं0–43, प्लॉट सं0–527/8, रकबा–0.38 एकड़ भुमी जगदीश भुईयाँ पिता– बासदेव भुईयाँ के नाम से बंदोबस्त हुआ है। खाता सं0–43, प्लॉट सं0–527/10, रकबा–0.39 एकड़ भुमी नारायण भुईयाँ पिता– बासदेव भुईयाँ के नाम से बंदोबस्त हुआ है और सभी का सरकारी लगान रसीद निर्गत होते चला आ रहा है तथा प्रथम पक्ष का शांतिपूर्ण दखल–कब्जा है। विपक्षीगण का प्रश्नगत भूमि पर क्षण भर के लिये दखल–कब्जा नहीं रहा है। विपक्षीगण जाली कागजात पर अपना दावा करते हैं।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने कारन पृच्छा के अनुरूप बहस करते हुए बताय कि प्रश्नगत भूमि भूतपूर्व जमींदार गोपाल बक्स रांच नावा स्टेट ने ग्राम–मंझौली के खाता सं0–43, प्लॉट सं0–527, रकबा–5.18 एकड़ भूमि द्वितीय पक्ष के नारायण महतो के पिता–भदई महतो को बन्दोबस्ती कर परवाना निर्गत किये और भूतपू जमींदार के बंदोबस्ती के आधार

(5)

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	पर भदई महतो अपने जिवन काल तक दाखिल काबीज रहे तथा भूतपूर्व जमींदार को मालगुजारी देकर जमींदारी रसीद प्राप्त करते रहे। भदई महतो के मर जाने के बाद उनके पुत्र नारायण महतो का खाता सं0—43, प्लॉट सं0—527, रकबा—5.18 एकड़ भूमि पर सम्पूर्ण हक दखल—कब्जा एवं स्वामित्व का अधिकार स्थापित हुआ तथा सरकार को मालगुजारी देकर लगान रसीद प्राप्त करते चले आ रहे हैं। हाल पूनरिक्षण सर्वे में भी खाता सं0—43, प्लॉट सं0—527, रकबा—5.18 एकड़ ग्राम—मंझौलरी के भूमि पर नारायण महतो का हक—दखल कब्जा पायागया और नारायण महतो के दखल—कब्जे के अनुरूप हाल सर्वे का नक्शा 5.18 ए0 भूमि का तैयार किया गया है तथा जिसका हाल सर्वे का प्लॉट सं0—24 है और हाल सर्वे का फाईनल खतियान में नारायण महतो का दखल—कब्जा दर्ज किया गया है। द्वितीय पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा यह भी बताया गया कि नारायण महतो एवं वन विभाग के सीमा को निर्धारण को लेकर वाद चला था जिसमें वन प्रमंडल पदाधिकारी,डालटनगंज नारायन महतो के दखल—कब्जा के भूमि प्लौट सं0—527, रकबा—5.18 एकड़ भूमि को वन सीमा से निस्कासीत कर अपर समाहर्त्ता, पलामू एवं नारायण महतो को सूचित किया गया था। प्रथम पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में बंदोबस्ती वाद सं0—117/1996—97 के परवाना की छायाप्रति एवं सरकारी लगान रसीद की छायाप्रति समर्पित किये हैं। द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में सरकारी लगान रसीद (वर्ष 1991—92, 2011—12,2015—16,	

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	एवं 2016—17) की छायाप्रति एवं खाता सं0—99 का प्रारूप खतियान के नकल का छायाप्रति समर्पित किये हैं।
	उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में संलग्न उभय पक्ष के कारण पृच्छा एवं राजस्व दस्तावेजों का अवलोकन किया। थाना प्रभारी, छत्तरपुर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। थाना प्रभारी, छत्तरपु के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वाद भूमि पर द्वितीय पक्ष के द्वारा तील एवं अरहर का फसल लगाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि द्वितीय पक्ष का वाद भूमि पर दखल कब्जा है एवं दोनो पक्ष के द्वारा वाद भूमि पर अपना—अपना दखल—कब्जा का दावा कर रहे हैं। अवलोकनोपरांत ज्ञात होता है कि वाद का मुख्य कारण भूमि का सीमांकन नहीं होना है। प्रथम पक्ष चाहें तो अपने बंदोबस्ती से प्राप्त भूमि का बंदोबस्ती पर्चा में दर्ज खाता, प्लॉट, रकबा एवं चौहद्दी के अनुसार अंचल कार्यालय, छत्तरपुर से मापी करा लें। इसके साथ ही इस वाद कि कार्रवाई समाप्त की जाती है।
	लेखापित एवं संशोधित
	16/1/18 अनुमंडल दंडाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।
	16/1/18 अनुमंडल दंडाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

Digitally signed by ASHISH GANGWAR
Date: 2025.01.28 16:17:35 +05:30
Location: 192.168.238.105